भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1031
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

एनआईए, 1881 के तहत दर्ज मामले

1031. श्री दामोदर अग्रवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआईए), 1881 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों के निपटान का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत पांच वर्षों में एनआईए, 1881 के अंतर्गत पंजीकृत और दो वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों का राज्य-वार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की आड़ में वित्तीय संस्थाओं द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों का शोषण किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो वित्तीय संस्थाओं द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों पर अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन मामलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार रजिस्ट्रीकृत और निपटान का विवरण **उपाबंध-1** पर है । 23.07.2025 तक लंबित मामलों और दो वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों का विवरण **उपाबंध-2** पर है ।

(ग) से (ङ) : परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 चैक, वचन पत्र और विनिमय पत्र के उपयोग के लिए विधिक ढांचा प्रदान करने के लिए एक अधिनियमित विधि है । इस अधिनियम के अधीन

उपबंध, जिसमें चैक के अनादर से संबंधित धारा 138 भी शामिल है, वित्तीय लेनदेन की विश्वसनीयता को बनाए रखने और समाज के सभी वर्गों पर उनकी आर्थिक स्थिति का ध्यान दिए बिना समान रूप से लागू करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अपराधों के संक्षिप्त विचारण का उपबंध है । धारा 143 में आगे उपबंध है कि इस धारा के अधीन किसी मामले का विचारण, जहां तक व्यवहार्य हो, न्याय के हितों के अनुरूप, इसके निष्कर्ष तक दिन-प्रतिदिन जारी रहेगा, जब तक कि न्यायालय को लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से अगले दिन से परे परीक्षण का स्थगन आवश्यक न लगे। इसके अतिरिक्त, यह धारा यह उपबंध करती है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक सुनवाई यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी और शिकायत अभिलिखित होने की तारीख से छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रयास किया जाएगा ।

******

उपाबंध-1

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1031, जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

परक्राम्य लिखत (एनआई) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत और निपटाए गए मामले											
		2024		2023		2022		2021		2020	
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	रजिस्ट्रीकृत मामले	निपटाए गए मामले	रजिस्ट्रीकृत मामले	निपटाए गए मामले	रजिस्ट्रीकृत मामले	निपटाए गए मामले	रजिस्ट्रीकृत मामले	निपटाए गए मामले	रजिस्ट्रीकृत मामले	निपटाए गए मामले
1	आंध्र प्रदेश	17063	15755	21060	17885	18741	15551	17077	6158	14038	9340
2	अरुणाचल प्रदेश	77	72	35	22	7	2	10	0	5	0
3	असम	5044	4078	4687	3823	6028	3474	4483	1986	3026	1586
4	बिहार	13138	6822	12441	6314	13560	4976	10576	2258	6421	1505
5	चंडीगढ़	12662	11622	10846	10381	8329	8721	8125	4514	7315	2406
6	छत्तीसगढ़	17114	21402	19180	17536	18873	12179	19652	8122	7764	4023
7	दिल्ली	126059	101882	118110	109023	103034	96648	81769	54086	67311	39856
8	गोवा	3539	3929	3655	4973	4195	4783	3565	2368	2848	820
9	गुजरात	176991	169936	158120	168387	159682	132578	145184	92092	87649	30628
10	हरियाणा	60397	56585	68562	66131	64089	51557	60133	31635	53303	13210
11	हिमाचल प्रदेश	15655	16167	16207	14695	16451	12596	11333	7212	10575	2732
12	झारखंड	14277	11667	11809	7598	9572	5948	6022	1980	4992	1583
13	कर्नाटक	122870	97191	97807	84480	77395	61635	68860	52312	40872	27714
14	केरल	39141	26069	41892	25354	34699	16944	12107	6470	9518	4539
15	लक्षद्वीप										
16	मध्य प्रदेश	41375	49628	45966	44210	47212	36130	38488	22543	23681	8217
17	महाराष्ट्र	125200	109141	119129	114949	128185	100712	110411	72363	83247	30158
18	मेघालय	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
19	नागालैंड	20	5	9	6	17	9	5	3	5	2
20	ओडिशा	8720	5345	8405	5388	9445	5700	7353	3491	5387	1878
21	पुडुचेरी	1047	2104	1795	770	1755	422	1435	183	674	98
22	पंजाब	75746	78387	69570	88515	66466	74685	58446	39786	49972	20147
23	राजस्थान	123652	100321	140020	80180	145164	64851	106588	38896	81217	19038
24	सिक्किम	21	12	13	8	8	2	1	4	4	2
25	तमिलनाडु	31337	31364	33549	35367	43433	27414	30692	16475	20502	9533
26	तेलंगाना	10835	8723	13258	8849	15770	27844	21938	7288	10163	3730
27	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	335	197	267	217	285	258	275	179	314	73
28	त्रिपुरा	160	82	116	70	169	82	100	47	80	21
29	उत्तर प्रदेश	104091	63982	80600	46148	82814	55231	64216	27774	53854	19017
30	उत्तराखंड	14957	10670	12405	10985	11293	9569	9436	7093	7959	2993
31	पश्चिमी बंगाल	59025	38434	58609	39696	49333	52342	69315	24543	25944	16659
32	अंडमान और निकोबार										
	कुल	**1220548**	**1041572**	**1168123**	**1011960**	**1136005**	**882844**	**967595**	**531861**	**678640**	**271508**

स्रोत: - राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल पर तारीख 21.07.2025 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट।

· जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम और मणिपुर का डाटा राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

उपाबंध-2

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1031 में जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

एनआई अधिनियम के अधीन लंबित मामले			
क्र.सं.	**राज्य**	**लंबित मामले**	**2 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले**
1	आंध्र प्रदेश	57607	31351
2	अरुणाचल प्रदेश	79	31
3	असम	21944	13931
4	बिहार	70758	48221
5	चंडीगढ़	22377	5251
6	छत्तीसगढ़	64611	34213
7	दिल्ली	466163	239829
8	गोवा	11004	5868
9	गुजरात	515805	241990
10	हरियाणा	240024	134655
11	हिमाचल प्रदेश	57430	33617
12	झारखंड	38475	18971
13	कर्नाटक	199390	74076
14	केरल	116917	56168
15	लक्षद्वीप		
16	मध्य प्रदेश	182321	115942
17	महाराष्ट्र	638490	429049
18	मेघालय	0	0
19	नागालैंड	49	18
20	ओडिशा	67514	51240
21	पुडुचेरी	5950	4139
22	पंजाब	154850	46249
23	राजस्थान	629210	436012
24	सिक्किम	12	2
25	तमिलनाडु	122277	70689
26	तेलंगाना	55916	34233
27	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	1483	898
28	त्रिपुरा	515	137
29	उत्तर प्रदेश	394802	241441
30	उत्तराखंड	47501	25995
31	पश्चिमी बंगाल	291102	200285
32	अंदमान और निकोबार		
	कुल	**4474576**	**2594501**

स्रोत: - राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल पर तारीख 23.07.2025 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट।

· जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम और मणिपुर का डाटा राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

****